



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 153] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 1, 2019/फाल्गुन 10, 1940
No. 153] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 1, 2019/ PHALGUNA 10, 1940

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2019

सा.का.नि. 173(अ).— केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) धारा 212 की उपधारा (1) के अपेक्षानुसार भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड (3), उपखंड (i) में भारत सरकार में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1229(अ), तारीख 24 दिसंबर, 2018 द्वारा प्रकाशित किए गए थे जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से, जिसको प्रारूप नियमों वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करवा दी जाती है, तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे ;

और, उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को 24 दिसम्बर, 2018 को उपलब्ध कराई गई थी;

और, उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (तृतीय संशोधन) नियम, 2019 है।
- (2) इन नियमों में अन्यथा उपबोधित के सिवाय, ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 96 में -

(क) उप-नियम (4) के खंड (ii) में पहले परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

“परन्तु यह और की नए मॉडल की दशा में 1 अप्रैल, 2021 से ही निर्मित तथा सभी मॉडलों की दशा में 1 अप्रैल, 2022 से ही निर्मित यानों की एंटी लॉक ब्रेकिंग एम1 प्रवर्ग के सिवाय ब्रेकिंग प्रणाली समय-समय पर यथा संशोधित, आईएस 15986:2015 या एआईएस: 151:2018, के अनुरूप होगी :

परन्तु यह भी कि नए मॉडल की दशा में 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात् निर्मित तथा सभी मॉडलों की दशा में 1 अप्रैल, 2022 को या उसके पश्चात् निर्मित यानों की एम2, एम3, एन1, एन2, एन3 प्रवर्गों हेतु एंटी-लॉक ब्रेकिंग के सिवाय ब्रेकिंग प्रणाली समय-समय पर यथा संशोधित, आईएस 11852:2013, के अनुरूप होगी :

परन्तु यह भी कि ऐसे मोटर यानों के प्रवर्गों को जिनमें आईएस 11852:2013 के अनुसार एन्ड्यूरेंस ब्रेकिंग प्रणाली परीक्षण (टाइप-II ए टेस्ट) लागू है तथा जिनका निर्माण 1 अप्रैल, 2022 को या उसके पश्चात् किया गया है, उनके लिए समय-समय पर यथा संशोधित, आईएस 11852:2013, में यथा विनिर्दिष्ट एन्ड्यूरेंस ब्रेकिंग प्रणाली परीक्षण (टाइप-II ए टेस्ट) का पालन किया जाएगा :

परन्तु यह भी कि समय-समय पर यथा संशोधित, आईएस 15986:2015 अथवा एआईएस 151:2018, के अनुरूप एन1 प्रवर्ग के यानों हेतु ‘एंटी-लॉक ब्रेकिंग’ के सिवाय ब्रेकिंग प्रणाली आईएस 11852:2013 की अपेक्षाओं का पालन किया गया समझा जाएगा।”

(ख) उन-नियम 4(क) के परंतुक में “मॉडल और” शब्द के पश्चात् “विनिर्मित” शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ग) उप-नियम (4ख) में,

(i) खंड (ii) में “को और उसके पश्चात्” शब्दों से पूर्व “विनिर्मित” शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ii) शब्द और अंकों “आईएस: 15986:2015” के स्थान पर समय-समय पर यथा संशोधित “आईएस: 15986:2015 या एआईएस: 151:2018,” शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जायेंगे;

(iii) अंत में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परन्तु नए मॉडल की दशा में 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात् निर्मित एम2 प्रवर्ग के यानों तथा सभी मॉडल की दशा में 1 अप्रैल, 2022 से समय-समय पर यथा संशोधित आईएस 11852:2013, के अनुरूप एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम लगाया जाएगा।”

(घ) उप-नियम (5) और उप-नियम (6) का लोप किया जाएगा ।

(ङ) उप-नियम (9) के खंड iv, उप-खंड (घ) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परन्तु नए मॉडल की दशा में 1 अप्रैल, 2021 से ही निर्मित परिसंकटमय माल और तरल पेट्रोलियम गैस ले जाने के लिए ट्रैक्टर-ट्रेलर से भिन्न एम3, एन3 और एन2 प्रवर्ग के यानों तथा सभी मॉडल की दशा में 1 अप्रैल, 2022 से यानों में समय-समय पर यथा संशोधित आईएस: 11852:2013, के अनुरूप एंटी-लॉक ब्रेकिंग प्रणाली लगाई जाएगी।”

(च) उप-नियम (9) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियमों को अंतःस्थापित किए जायेंगे, अर्थात् :-

“(10) नए मॉडल की दशा में 1 अप्रैल, 2021 को और उसके पश्चात् तथा सभी मॉडल की दशा में 1 अप्रैल, 2022 को और उसके पश्चात् निर्मित एम1 और एन1 प्रवर्ग के यानों में यदि इलेक्ट्रॉनिक स्थिरांक नियंत्रण प्रणालियां लगाई हों, तो समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस: 122-2016, अपेक्षाओं को तब तक पूरा किया जाएगा जब तक कि

भारत मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) के अधीन समदृश्य बीआईएस विनिर्देशों को अधिसूचित नहीं कर दिया जाता है।

(11) नए मॉडल की दशा में 1 अप्रैल, 2021 को और उसके पश्चात् निर्मित और सभी मॉडल की दशा में 1 अप्रैल, 2022 को और उसके पश्चात् निर्मित एम1 और एन1 प्रवर्गों के यानों में यदि ब्रेक सहायता प्रणाली लगाई गई हो, तो यह समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस : 152:2018, के अनुरूप होगी, जब तक कि भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016(2016 का 11) के अधीन समदृश्य बीआईएस विनिर्देशों को अधिसूचित नहीं कर दिया जाता है।”

3. नियम 96ख में, पहले परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

“परन्तु यह और कि नए मॉडल की दशा में 1 अप्रैल, 2021 से ही और सभी मॉडल की दशा में 1 अप्रैल, 2022 को से ही निर्मित एम1 प्रवर्ग के यानों में ब्रेकिंग प्रणाली समय-समय पर यथा संशोधित आईएस 15986:2015 अथवा एआईएस: 151:2018, के अनुरूप होगी और इसे इस नियम की अपेक्षाओं की अनुपालना में समझा जाएगा।”

[सं. आरटी-11028/19/2017-एमवीएल]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

टिप्पणः मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 590 (अ), तारीख 2 जून, 1989 को प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1225(अ), तारीख 20.12.2018 के अधीन संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 2019

G.S.R. 173(E).— Whereas, the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989 were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways *vide* number G.S.R.1229 (E), dated the 24th day of December, 2018, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section (3), Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date of which copies of the Official Gazette containing the draft rules were made available to the public;

And whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 24th December, 2018;

And whereas, objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely: -

1. **Short title and commencement.** -(1) These rules may be called as the Central Motor Vehicles (..... Amendment) Rules, 2019.
(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (hereafter referred as the principal rules), in rule 96.-
(a) in sub-rule (4), in clause (ii) after the first proviso, the following provisos shall be inserted, namely: -

“provided further that Braking System other than Anti-Lock Braking for M1 category of vehicles manufactured, on and from 1st day of April, 2021 in the case of new models and 1st day of April, 2022 in case of all models, shall conform to IS 15986:2015 or AIS:151:2018 as amended from time to time:

Provided also that Braking System other than Anti-Lock Braking for M2, M3, N1, N2, N3 categories of vehicles manufactured, on and after 1st day of April, 2021 in case of new models and 1st day of April, 2022 in case of all models, shall conform to IS 11852:2013, as amended from time to time:

Provided also that the motor vehicle categories for which Endurance Braking System Test (Type-II A test) is applicable as per IS 11852:2013 and manufactured on and after 1st day of April, 2022 shall comply with the Endurance Braking System Test (Type-II A test) as specified in IS 11852:2013 amended from time to time:

Provided also that Braking System other than Anti-Lock Braking for N1 category of vehicles conforming to IS 15986:2015 or AIS 151:2018 as amended from time to time shall be deemed to comply with the requirements of IS 11852:2013.”;

- (b) in sub-rule 4(A), in the proviso after the words “models and”, the word “manufactured” shall be inserted;
- (c) In sub-rule (4B),
- (i) in clause (ii) before the words “on and after”, the word “manufactured” shall be inserted;
 - (ii) for the words and numbers “IS: 15986:2015”, the words and numbers “IS:15986:2015 or AIS:151:2018, as amended from time to time” shall be inserted;
 - (iii) at the end, the following proviso shall be inserted, namely: -

“Provided that vehicles of category M2 manufactured on and from 1st day of April, 2021, in case of new models and 1st day of April, 2022, in case of all models, shall be fitted with Anti-Lock Braking System conforming to the IS 11852:2013 as amended from time to time.”.
- (d) sub-rule (5) and sub-rule (6) shall be omitted.
- (e) in sub-rule (9) in clause iv, in sub-clause (d), the following proviso shall be inserted, namely: -
- “Provided that vehicles of category M3, N3 and N2 other than tractor-trailer combination meant for carrying hazardous goods and liquid petroleum gas, manufactured on and from 1st day of April, 2021 in the case of new models and 1st day of April, 2022 in case of all models, shall be fitted with Anti-Lock Braking System conforming to IS: 11852:2013, as amended from time to time.”
- (f) after sub-rule (9), the following sub-rules shall be inserted, namely: -
- “(10) M1 and N1 categories of vehicles manufactured on and after, 1st day of April, 2021 in the case of new models and 1st day of April, 2022 in case of all models, and if provided with Electronic Stability Control Systems shall meet the requirements as specified in AIS:133-2016, as amended from time to time, till the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016).
- (11) M1 and N1 categories of vehicles if provided with Brake Assist System manufactured, on and after 1st day of April 2021 in the case of new models and 1st day of April, 2022 in case of all models shall conform to AIS: 152:2018 amended from time to time, till the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016).”;

3. in rule 96B, after the first proviso, the following proviso shall be inserted, namely: -

“Provided further that M1 category of vehicles manufactured on and from 1st day of April, 2021 in case of new models and 1st day of April, 2022 in case of all models, having braking system conforming to IS 15986:2015 or AIS:151:2018, as amended from time to time, shall be deemed to comply with the requirements of this rule.”.

[F. No. RT-11028/19/2017-MVL]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended vide notification number GSR 1225(E) date 20.12.2018.